न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 347/18 **निर्णय दिनांकः 13.05.2019**

1. मंगलसिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जट सिख निवासी अमरपुरा तहसील पीलीबंगाा जिला हनुमानगढ़।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24—10—1997
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24—10—1997 जिसके द्वारा अपीलांट का रकबा स्कीम से बाहर/अथवा अन्य को आवंटन बताकर आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन चक 8 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 77/107 की 25 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्कीम से बाहर अर्थात अविज्ञापित होने के कारण खारिज कर दिया गया। इस संबंध में आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान नहीं की गई।

आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् ने बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील खाजुवाला के चक 8 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 77/107 में विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा दिनांक 24—10—1997 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा स्कीम से बाहर व अन्य को आवंटित होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में चक नम्बर व मुरब्बा भरकर अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिये गया। जबकि वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः

अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—10—1997 के विरूद्व अपील दिनांक 07—09—18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24—10—1997 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 07—09—2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील खाजुवाला में चक 8 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 77/107 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत

पेश किये थे। प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि गजट में प्रकाशित भूमि है तथा अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित भूमि नहीं है।

इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा वर्तमान जमाबन्दी व गजट नोटिफिकेशन की प्रति न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि आज दिनांक को आराजीराज दर्ज रिकार्ड हो तथा गजट में प्रकाशित हो। बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलांट के मौखिक कथन को किसी प्रकार का कोई बल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि अविज्ञाप्ति होने व अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित होने के आधार पर अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया गया है। जो विधि सम्मत है।

विशेष आवंटन नियमों में जिस भूमि के लिए आवेदन किया जाता है उसी भूमि के आवंटन का प्रावधान निहित है, अन्य भूमि आवंटन का प्रावधान विशेष आवंटन नियमों में निहित नहीं है। प्रकरण में जहॉ तक अपीलांट का अन्यत्र भूमि आवंटन करने का प्रश्न है, इस संबंध में अपीलांट स्वतन्त्र है कि वह परीक्षण न्यायालय द्वारा भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र की मांग किये जाने पर अन्य भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–10–1997 सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 13.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर